भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ई–न्यूजलैटर

जनवरी, 2021

नव वर्ष के अवसर पर डॉ पी.डी. वाघेला, अध्यक्ष, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ई–कार्यालय का उद्घाटन किया तथा कर्मचारिवृंदों को सम्बोधित किया

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अपने सभी पाठकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता है

1. परामर्श पत्र

1.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने प्लेटफार्म सेवाओं के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दो पश्च् संदर्भों पर दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 का परामर्श पत्र जारी किया

प्लेटफॉर्म सेवाएं प्रोग्रामिंग सेवाएं हैं जो किसी प्लेटफार्म के लिए विशिष्ट हैं और इन्हें उपग्रह आधारित प्रसारकों से प्राप्त नहीं किया जाता है। यह प्रोग्रामिंग सेवाएं या तो 'डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म ऑपरेटरों (डीपीओ) अर्थात् एमएसओ, डीटीएच द्वारा तैयार की जाती हैं अथवा इन्हें कतिपय स्थानीय विषयवस्तु तैयार करने वालों से प्राप्त किया जाता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने इस विषय पर वर्ष 2014 में और विशेषरूप से डीटीएच के संबंध में वर्ष 2019 में अपनी सिफारिशें दी थी।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से दिनांक 23 अक्तूबर, 2020 के दो पत्र प्राप्त हुए जिसमें इन सिफारिशों में पुनर्विचार करने के लिए कुछ मुद्दों को संदर्भित किया गया था। ।

प्रथम पश्च् संदर्भ में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की कुछ सिफारिशों पर पुनर्विचार करने के लिए ''प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए विनियामक ढांचा'' विषय पर दिनांक 19 नवम्बर, 2014 को वापस भेज दिया।

द्वितीय पश्च् संदर्भ में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रस्ताव किया कि 'डीटीएच प्रचालकों द्वारा पेशकश की जाने वाली प्लेटफार्म सेवाओं' के संबंध मे कतिपय सिफारिशों को एमएसओ के संबंध में भी अंगीकार किया जाए।

उपर्युक्त पश्च् संदर्भों के आलोक में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सभी हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया चूंकि प्राधिकरण ने प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे पर सिफारिशें बहुत पहले ही, अर्थात् वर्ष 2014 में भेज दी थी और तब से काफी कुछ परिवर्तित हुआ है। इसके अलावा, एमएसओ पर वर्ष 2019 में डीटीएच ऑपरेटरों के लिए की गई कुछ सिफारिशों को लागू करने के संबंध में एमआईबी द्वारा उठाए गए मुद्दे, नए मुद्दे हैं। परामर्श पत्र नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है :

https://trai.gov.in/sites/default/files/CP_07122020.pdf

Newsletter

2. निदेश

2.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 'सेग्मेंटिड पेशकशों' के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए टीएसपी को निदेश जारी किया :

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 06 नवंबर, 2020 के आदेश के अनुपालन में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 का निदेश जारी किया, जिसमें सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिसंबर, 2020 और उसके पश्चात्, माह के आंतिम दिवस से दस कार्य दिवसों के भीतर 'सेग्मेंटिड पेशकशों' का ब्योरा देने का निदेश दिया गया था।

जनवरी, 2020 से नवंबर, 2020 तक की अवधि के लिए प्रत्येक एलएसए के लिए मासिक आधार पर विवरण को इस निदेश के जारी किए जाने के पंद्रह दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाना था। इस संदर्भ में निम्नलिखित विवरण मांगे गए थे:

(i) जिस 'टैरिफ प्लॉन' में 'सेग्मेंटिड पेशकश' की गई है उनमें उपभोक्ताओं को उपलब्ध दरों और संबंधित निबंधन और शर्तों, सेवाओं की प्रमात्रा, 'टैरिफ प्लॉन' का नाम और सदस्यता की वैधता अवधि और उपभोक्ताओं को उपलब्ध लाभों का विवरण,

(ii) माह के अंत में संबंधित प्रशुल्क योजना के तहत मौजूदा सब्सक्राइबरों को उपलब्ध कराए गए 'सेग्मेंटिड पेशकशों' की संख्या,

(iii) उक्त प्रत्येक 'सेग्मेंटिड पेशकशों' में सब्सक्राइबरों को उपलब्ध दरों तथा निबंधन और शर्तों, सेवाओं की प्रमात्रा, सब्सक्रिप्शन की वैधता अवधि तथा सब्सक्राइबरों को उपलब्ध का ब्योरा,

(iv) प्रत्येक माह के अंत में ऐसे सब्सक्राइबरों की संख्या जिन्होंने प्रत्येक प्रशुल्क योजना के भीतर सेग्मेंटिड पेशकशों' का लाभ उठाया है,

(v) यह घोषणा कि ऐसे 'सेग्मेंटिड पेशकशों' का लाभ 'सेग्मेंटिड'/वर्ग में आने वाले सभी मौजूदा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया गया है और गैर– विभेदक के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन किया गया है।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Direction_04122020_0.pdf

Newsletter

2.2 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने विभिन्न एमएसओ को निदेश जारी किए :

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 04 दिसंबर 2020 को एमएसओ अर्थात् मैसर्स डेन सैटेलाइट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड; मैसर्स जेपीआर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड; मैसर्स सेवन स्टार डॉट कॉम प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स मेट्रो कॉस्ट नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, अनुपालन में निम्नलिखित विसंगतियों का हवाला देते हुए, प्रसारण और केबल सेवाओं के नए विनियामक ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेश जारी किया :

क. नेटवर्क पर उपलब्ध चैनलों की सूची प्रदान नहीं की गई है,
ख. सीएएफ का विस्तृत प्रारूप उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं कराया गया है,
ग. वेबसाइट पर उपभोक्ता जानकारी में मल्टी टीवी के लिए नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ), सीपीई योजनाओं का विवरण, पद्धति नियमपुस्तिका, प्रसारक द्वारा तैयार किए गए पे– चैनलों के बुके और उनकी संरचना तथा उनके संबंधित अधिकतम खुदरा मूल्य तथा वितरक खुदरा मूल्य की जानकारी शामिल नहीं हैं।
घ. जानकारी का विवरण अर्थात् लक्षित बाजार, कुल चैनल संवाहित करने की क्षमता, चैनलों की सूची, अतिरिक्त चैनल क्षमता आदि का ब्योरा वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हैं।
ङ संदर्भ अंतर्संयोजन पेशकश (आरआईओ) को वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया गया है।
च. फ्री टू एयर (एफटीए) चैनलों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है।
छ. वेब आधारित शिकायत प्रबंधन प्रणाली को वेबसाइट पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Direction_Den_Satellite_04122020.pdf

2.3 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा ईपीजी में चैनलों की लिस्टिंग करने के संबंध में विभिन्न एमएसओ को जारी किया गया दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 का निदेश :

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने विभिन्न एमएसओ अर्थात् मैसर्स थमिज़गा केबल टेलीविजन कम्यूनीकेशन प्राइवेट लिमिटेड;मैसर्स मानाकुला विनियागार डिजिटल नेटवर्क और मैसर्स केएएल केबल प्राइवेट लिमिटेड को इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) में चैनलों की लिस्टिंग के संबंध में दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 का निदेश जारी किया।

यह निदेश न्यूज़ एजेन्सी ब्रोडकास्टर्स एसोसियेशन (एनबीए) द्वारा एक शिकायत के अनुपालन में जारी किया गया और निरीक्षण करने पर प्राधिकरण ने पाया कि नेटवर्क पर 'रिपब्लिक टीवी' चैनल तमिल न्यूज चैनलों के साथ चल रहे थे।

Newsletter

इस निदेश के माध्यम से, प्राधिकरण ने एमएसओ को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि किसी जेनरे में किसी विशिष्ट भाषा के टेलीविजन चैनल को एक साथ दर्शाया जाएगा और एक टेलीविजन चैनल केवल एक ही स्थान पर आएगा।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Direction_Thamizhaga_16122020.pdf

3. अन्य जानकारी

3.1 दिनांक 30 नवम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार सब्सक्रिप्शन के आंकडे

ब्योरा	वॉयरलेस	वॉयरलाइन	कुल (वॉयरलेस + वॉयरलाइन)
शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सब्सक्राइबर (मिलियन में)	630.40	18.20	648.60
ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सब्सक्राइबर (मिलियन में)	524.80	1.87	526.67
कुल दूरसंचार सब्सक्राइबर (मिलियन में)	1155.20	20.07	1175.27
समग्र दूरसंचार घनत्व (प्रतिशत में)	85.08	1.48	86.56
शहरी सब्सक्रिप्शन की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	54.57 प्रतिशत	90.67 प्रतिशत	55.19 प्रतिशत
ग्रामीण सब्सक्रिप्शन की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	45.43 प्रतिशत	9.33 प्रतिशत	44.81 प्रतिशत
ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबरों की संख्या (मिलियन में)	720.18	21.89	742.06

नवम्बर, 2020 में व्यस्ततम वीआरएल की तिथि पर सक्रिय वॉयरलेस सब्सक्राइबरों की संख्या 968. 42 मिलियन रही।

नवम्बर, 2020 के माह में मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी के लिए 6.81 मिलियन अनुरोध किए गए। नवम्बर, 2020 के अंत तक, कुल 536.41 मिलियन उपभोक्ताओं ने मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी की सुविधा आरंभ होने से लेकर अब तक इसका लाभ उठाया है।

4. घटनाक्रम

4.1 दिसम्बर, 2020 के माह के दौरान ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से निम्नवत उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

क्रम संख्या	स्थान	तिथि
1	कर्नाटक	04 दिसम्बर, 2020
2	केरल	07 दिसम्बर, 2020
3	बिहार	08 दिसम्बर, 2020
4	उत्तर प्रदेश	17 दिसम्बर, 2020
5	राजस्थान	18 दिसम्बर, 2020

फोटो गैलरी

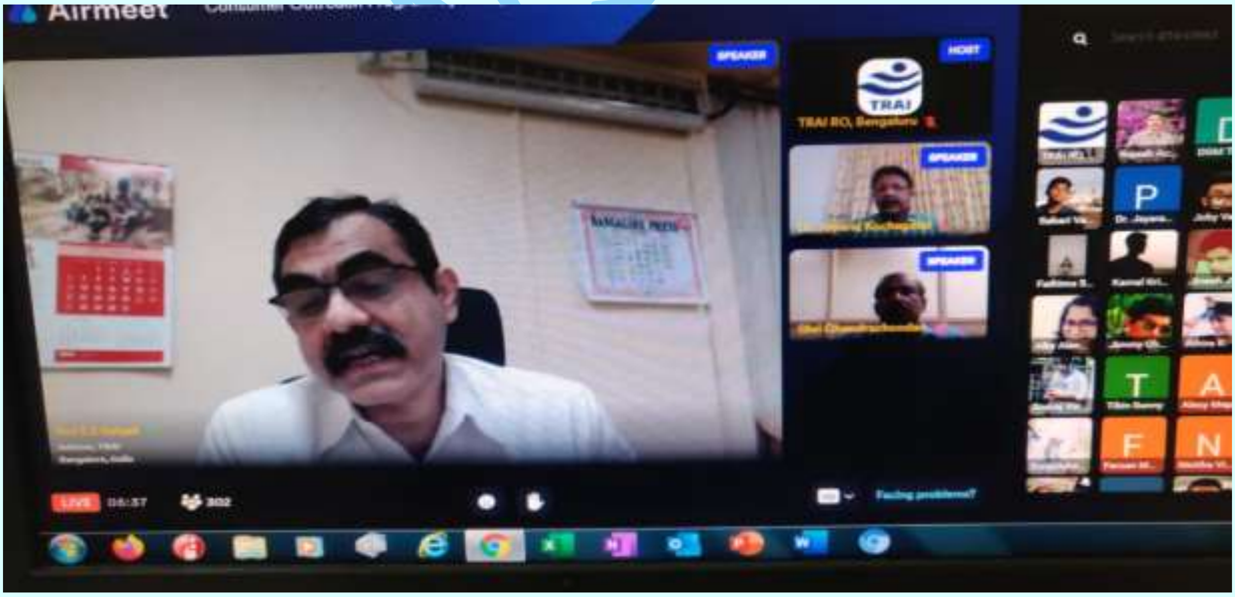

दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 को केरल में उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम आयोजित किया गया

दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 को बिहार में उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम आयोजित किया गया

दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 को उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम आयोजित किया गया

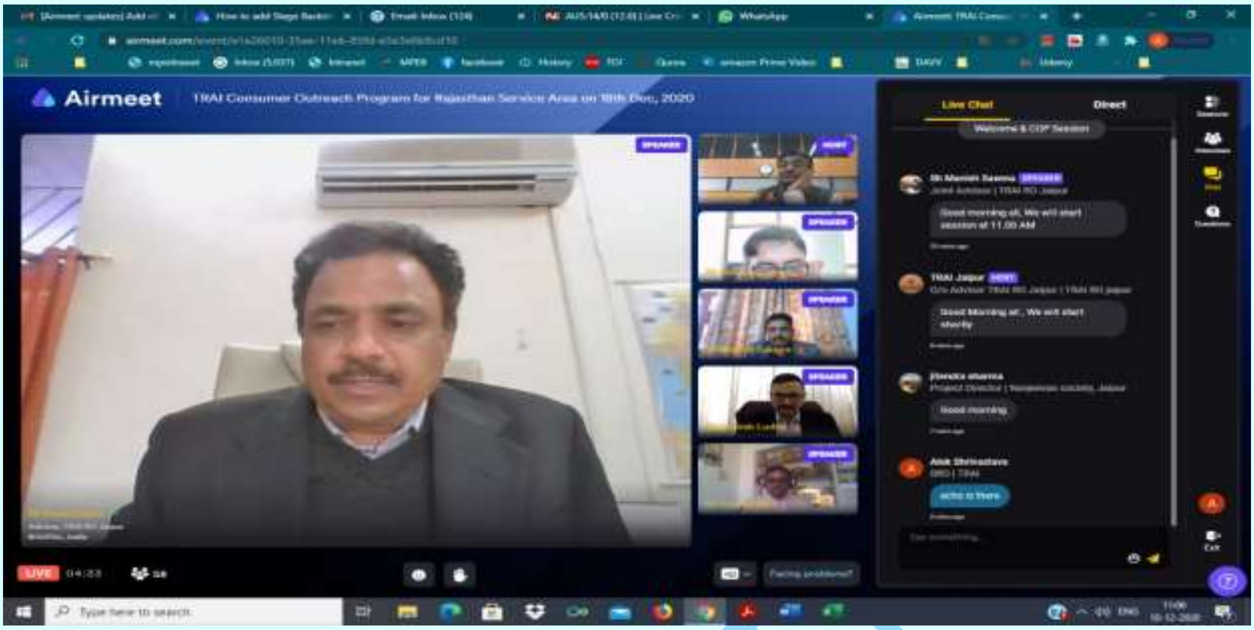

दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 को राजस्थान में उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम आयोजित किया गया

इस न्यूजलैटर में उल्लिखित निदेशों/ आदेशों, परामर्श पत्रों/ रिपोर्टों, सब्सक्रिप्शन संबंधी आंकड़ों आदि का पूर्ण ब्योरा भारतीय दूरसंचार विनियामक आयोग की वेबसाइट ***www.trai.gov.in*** पर उपलब्ध है।

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, (पुराना मिन्टो रोड), नई दिल्ली– 10002

हम फेसबुक पर भी मौजूद हैं ! हमसे जुड़िए !

https://www.facebook.com/TRAI/

हम टिव्टर पर भी मौजूद हैं ! हमसे जुड़िए !

TRAI@TRAI